

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1230

दिनांक 09 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्थानीय सरकारों को स्वास्थ्य अनुदान

1230: श्रीमती प्रमिला बिसाई:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23, 2023-24 के अंत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, आरंभिक शेष, आवंटित निधि, उपयोग की गई निधि और अंतिम शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) एनएचएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिबद्ध देनदारियां कितनी-कितनी हैं;
- (ग) एनएचएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमोदित और जारी केन्द्रीय अंश कितना-कितना है;
- (घ) क्या सरकार को 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानीय सरकारों को स्वास्थ्य अनुदान जारी करने और उनका उपयोग करने में धीमी प्रगति के संबंध में जानकारी है;
- (ङ) ऐसे अनुदानों के शीघ्र उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय स्तर की समिति के कार्यवृत्त का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): समान, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित कर रहा है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से अल्पसेवित और सीमांत क्षेत्रों के समूहों के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार और वर्ष-वार आरंभिक शेष, आवंटित धनराशि, उपयोग की गई निधि और अंतिम शेष का विवरण अनुलग्नक- I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक रूप से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कार्यवाही का वर्षवार रिकॉर्ड (आरओपी) जिसमें वित्त वर्ष

2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियां और पीआईपी शामिल हैं, निम्न पर उपलब्ध हैं:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744>

स्थानीय सरकारों के माध्यम से पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए 70,051 करोड़ रुपये हैं। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया हैं। राज्यों को दिनांक 2 फरवरी 2024 तक 19,409.11 करोड़ रुपये की धन-राशि जारी की जा चुकी है और पूंजीगत अनुदान में अवसंरचनागत घटक शामिल हैं जिसमें लीड टाइम/जेस्टेशन अवधि निहित है।

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों के साथ नियमित विचार-विमर्श किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं जैसे:

- निधियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एनएचएम-पीएमएस पोर्टल का कार्यान्वयन।
- उत्तरवर्ती किस्तों के लिए व्यय विभाग को सिफारिशें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तकनीकी एवं प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ही की जाती हैं।
- राज्यों द्वारा अनुदान अंतरण प्रमाणपत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

इसके अलावा, समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के माध्यम से सभी राज्यों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन का आकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्कीमों की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए समय समय पर सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं। सीआरएम की प्रमुख कार्यनीतियां और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, प्रमुख संकेतकों की प्रगति में रुझानों की पहचान करने, नई पहलों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की तत्परता का मूल्यांकन करने और विभिन्न प्रतिभागियों के साथ प्रगति और समन्वय तंत्र की समीक्षा करने के संबंध में चुनौतियों का विश्लेषण करना है। सीआरएम की विभिन्न रिपोर्टों का विवरण निम्न पर उपलब्ध है:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=795&lid=195>

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति (एनएलसी) की बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है

<https://nhsrcindia.org/fc-xv-health-grants/national-committee>

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आरंभिक शेष, आवंटित धन-राशि, उपयोग की गई निधि और अंतिम शेष का विवरण

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01-04-2020 तक आरंभिक शेष	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई धन-राशि का केंद्रीय हिस्सा	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए व्यय	31-03-2021 तक अंतिम शेष
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.49	36.91	42.68	9.01
2	आंध्र प्रदेश	292.98	1,097.81	2,385.48	235.24
3	अरुणाचल प्रदेश	104.77	243.04	209.06	240.54
4	असम	280.62	1,807.48	1,846.86	341.76
5	बिहार	1,494.26	1,814.63	2,415.34	1,929.39
6	चंडीगढ़	3.61	22.21	19.52	3.87
7	छत्तीसगढ़	582.81	979.41	1,521.30	649.91
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	6.43	36.39	35.74	7.58
9	दिल्ली	306.58	125.73	210.83	329.28
10	गोवा	18.74	34.81	67.43	44.53
11	गुजरात	522.67	1,005.66	1,894.46	460.49
12	हरियाणा	256.74	531.50	829.12	430.67
13	हिमाचल प्रदेश	65.97	441.94	425.58	103.24
14	जम्मू और कश्मीर	190.08	667.46	657.53	186.60
15	झारखंड	1,041.46	602.80	999.71	1,045.30
16	कर्नाटक	542.21	1,232.19	2,320.37	614.03
17	केरल	265.45	788.22	1,457.75	409.29
18	लक्षद्वीप	0.62	7.11	6.99	0.75
19	मध्य प्रदेश	727.26	2,377.14	3,397.82	719.48
20	महाराष्ट्र	536.08	1,833.59	3,503.62	527.73
21	मणिपुर	83.18	189.49	112.79	108.30
22	मेघालय	167.25	202.63	213.36	123.38
23	मिजोरम	6.29	143.73	131.36	50.93
24	नागालैंड	55.56	188.21	159.72	102.05
25	ओडिशा	1,090.72	1,617.63	2,347.24	1,435.46
26	पुडुचेरी	30.57	25.55	47.32	33.13
27	पंजाब	61.49	568.14	908.98	177.33
28	राजस्थान	1,450.98	2,000.58	2,943.21	1,563.70
29	सिक्किम	5.59	70.13	52.06	5.65
30	तमिलनाडु	803.17	1,522.71	2,172.33	903.28
31	त्रिपुरा	76.45	225.91	249.74	77.20
32	उत्तर प्रदेश	2,821.05	3,772.95	7,080.45	2,951.51
33	उत्तराखंड	86.23	583.25	503.53	135.59
34	पश्चिम बंगाल	761.36	1,895.01	2,598.62	885.17
35	तेलंगाना	214.52	671.88	1,354.93	734.85
36	लद्दाख	-	91.89	38.56	62.66

नोट:

1. उपर्युक्त जारी की गई धन-राशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केन्द्र द्वारा जारी की गई निधि, राज्य द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
3. जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, वित्त वर्ष 2020-21 में पहली बार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को धनराशि जारी की गई है।
4. वित्त वर्ष के समाप्त होने के उपरांत आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आरंभिक शेष, आवंटित धन-राशि, उपयोग की गई निधि और अंतिम शेष का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01-04-2021 को आरंभिक शेष	2021-22 के दौरान जारी की गई धन-राशि का केंद्रीय हिस्सा	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यय	31-03-2022 तक अंतिम शेष
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.01	43.68	31.20	9.04
2	आंध्र प्रदेश	235.24	1,199.37	2,448.67	386.81
3	अरुणाचल प्रदेश	240.54	188.53	248.51	167.96
4	असम	341.76	1,955.93	2,194.36	303.37
5	बिहार	1,929.39	1,748.76	1,905.35	2,946.03
6	चंडीगढ़	3.87	17.47	26.86	1.28
7	छत्तीसगढ़	649.91	969.61	1,833.45	704.98
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	7.58	38.59	45.02	7.88
9	दिल्ली	329.28	127.37	237.79	398.72
10	गोवा	44.53	26.01	60.56	19.83
11	गुजरात	460.49	1,094.48	1,835.81	241.91
12	हरियाणा	430.67	577.07	879.91	435.63
13	हिमाचल प्रदेश	103.24	555.09	525.09	69.14
14	जम्मू और कश्मीर	186.60	459.10	779.61	32.03
15	झारखंड	1,045.30	640.18	1,176.55	864.15
16	कर्नाटक	614.03	1,274.71	2,200.92	712.64
17	केरल	409.29	771.47	1,230.96	131.33
18	लक्षद्वीप	0.75	8.41	7.26	0.94
19	मध्य प्रदेश	719.48	2,295.66	3,714.92	1,508.91
20	महाराष्ट्र	527.73	1,769.67	4,227.31	436.41
21	मणिपुर	108.30	95.59	154.09	92.66
22	मेघालय	123.38	282.46	227.08	107.25
23	मिजोरम	50.93	93.82	153.16	15.03
24	नागालैंड	102.05	126.66	192.16	36.59
25	ओडिशा	1,435.46	1,263.07	2,587.72	914.84
26	पुडुचेरी	33.13	21.33	46.36	21.51
27	पंजाब	177.33	349.21	918.96	83.06
28	राजस्थान	1,563.70	1,924.95	3,230.01	932.17
29	सिक्किम	5.65	51.86	46.06	19.82
30	तमिलनाडु	903.28	1,631.91	3,039.39	1,018.71
31	त्रिपुरा	77.20	217.95	237.24	77.20
32	उत्तर प्रदेश	2,951.51	3,235.46	6,210.20	2,163.31
33	उत्तराखंड	135.59	553.47	606.07	152.92
34	पश्चिम बंगाल	885.17	1,654.26	2,229.46	1,014.25
35	तेलंगाना	734.85	725.67	1,556.65	397.82
36	लद्दाख	62.66	44.79	62.81	36.00

नोट:

- उपर्युक्त जारी की गई धन-राशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
- व्यय में केन्द्र द्वारा जारी की गई निधि, राज्य द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
- वित्त वर्ष के समाप्त होने के उपरांत आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आरंभिक शेष, आवंटित धन-राशि, उपयोग की गई निधि और अंतिम शेष का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01-04-2022 तक आरंभिक शेष	2022-23 के दौरान जारी की गई धन-राशि का केंद्रीय हिस्सा	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यय	31-03-2023 तक अंतिम शेष
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.04	45.26	42.28	7.23
2	आंध्र प्रदेश	386.81	1,489.45	1,914.34	233.26
3	अरुणाचल प्रदेश	167.96	233.82	424.78	36.91
4	असम	303.37	1,981.83	2,307.00	141.64
5	बिहार	2,946.03	1,586.57	3,717.81	2,250.83
6	चंडीगढ़	1.28	38.09	26.98	4.48
7	छत्तीसगढ़	704.98	1,195.08	2,152.45	712.88
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	7.88	58.28	41.61	17.38
9	दिल्ली	398.72	35.15	298.11	196.20
10	गोवा	19.83	55.42	84.64	16.32
11	गुजरात	241.91	1,120.06	2,292.35	539.79
12	हरियाणा	435.63	681.21	1,185.43	445.66
13	हिमाचल प्रदेश	69.14	494.65	567.83	88.62
14	जम्मू और कश्मीर	32.03	651.52	917.02	34.30
15	झारखंड	864.15	810.30	1,495.17	714.20
16	कर्नाटक	712.64	1,246.67	2,376.94	593.43
17	केरल	131.33	1,036.76	1,592.96	273.99
18	लक्षद्वीप	0.94	9.97	9.29	4.22
19	मध्य प्रदेश	1,508.91	2,582.10	4,489.15	1,668.94
20	महाराष्ट्र	436.41	2,187.13	4,501.75	809.65
21	मणिपुर	92.66	61.40	214.69	20.62
22	मेघालय	107.25	261.56	319.08	83.35
23	मिजोरम	15.03	111.82	135.33	34.58
24	नागालैंड	36.59	91.38	161.93	24.46
25	ओडिशा	914.84	1,284.69	3,402.50	917.77
26	पुडुचेरी	21.51	20.73	48.51	4.58
27	पंजाब	83.06	448.89	1,054.39	18.18
28	राजस्थान	932.17	1,460.80	3,726.21	588.09
29	सिक्किम	19.82	73.30	88.69	8.13
30	तमिलनाडु	1,018.71	1,652.24	3,191.84	610.00
31	त्रिपुरा	77.20	231.90	287.20	61.45
32	उत्तर प्रदेश	2,163.31	5,133.59	8,828.29	3,155.95
33	उत्तराखंड	152.92	505.01	647.13	407.02
34	पश्चिम बंगाल	1,014.25	1,252.32	3,509.86	408.45
35	तेलंगाना	397.82	683.77	2,062.93	-
36	लद्दाख	36.00	94.94	109.67	18.63

नोट:

- उपर्युक्त जारी की गई धन-राशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
- व्यय में केन्द्र द्वारा जारी की गई निधि, राज्य द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अंतिम है।
- वित्त वर्ष के समाप्त होने के उपरांत आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आरंभिक शेष, आवंटित धन-राशि और उपयोग की गई निधि का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01-04-2023 तक आरंभिक शेष	2023-24 के दौरान जारी की गई धन-राशि का केंद्रीय हिस्सा	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.23	25.22	21.89
2	आंध्र प्रदेश	233.26	783.75	1,770.44
3	अरुणाचल प्रदेश	36.91	265.90	202.06
4	असम	141.64	1,462.03	1,457.49
5	बिहार	2,250.83	1,448.13	1,774.42
6	चंडीगढ़	4.48	20.06	25.00
7	छत्तीसगढ़	712.88	564.18	783.48
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	17.38	18.16	24.86
9	दिल्ली	196.20	138.21	266.16
10	गोवा	16.32	35.52	60.67
11	गुजरात	539.79	889.48	1,261.59
12	हरियाणा	445.66	435.16	823.64
13	हिमाचल प्रदेश	88.62	387.48	328.08
14	जम्मू और कश्मीर	34.30	535.37	473.50
15	झारखंड	714.20	596.05	796.17
16	कर्नाटक	593.43	838.66	1,039.66
17	केरल	273.99	168.73	682.65
18	लक्षद्वीप	4.22	3.75	4.01
19	मध्य प्रदेश	1,668.94	1,797.84	3,136.84
20	महाराष्ट्र	809.65	1,872.78	3,100.86
21	मणिपुर	20.62	129.56	41.18
22	मेघालय	83.35	176.04	143.54
23	मिज़ोरम	34.58	70.04	89.81
24	नागालैंड	24.46	130.53	81.43
25	ओडिशा	917.77	1,178.97	1,292.29
26	पुडुचेरी	4.58	17.23	29.87
27	पंजाब	18.18	62.29	477.36
28	राजस्थान	588.09	1,672.40	2,457.87
29	सिक्किम	8.13	54.56	38.42
30	तमिलनाडु	610.00	1,136.31	1,583.01
31	त्रिपुरा	61.45	217.79	150.65
32	उत्तर प्रदेश	3,155.95	3,730.51	4,960.62
33	उत्तराखंड	407.02	475.21	389.96
34	पश्चिम बंगाल	408.45	831.55	1,608.64
35	तेलंगाना	-	540.58	899.92
36	लद्दाख	18.63	61.44	67.35

नोट:

- उपर्युक्त जारी की गई धन-राशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
- व्यय में केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अंतिम है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिलीज को 20.01.2024 तक अद्यतन किया जाता है और यह अंतिम है।
- व्यय में केन्द्र द्वारा जारी की गई धन-राशि, राज्य द्वारा जारी की गई धन-राशि और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष के सापेक्ष व्यय शामिल है, व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (30.11.2023 तक अद्यतित), चंडीगढ़, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा (31.10.2023 तक अद्यतित), लक्षद्वीप (30.09.2023 तक अद्यतित) को छोड़कर व्यय को 31.12.2023 तक अद्यतित किया गया है।
